[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 29th October, 2003

No. S.O. 131/C.A. 59/1988/Ss. 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111, 138, 176 and 213/2003.—In exercise of the powers conferred by sections 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111, 138, 176 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government, Transport Department, notification No. S.O. 120/C.A. 59/1988/Ss. 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111, 138, 176 and 213/2003, dated the 8th October, 2003, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2003.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), for the words ''Transport Commissioner'' wherever occurring, the words ''State Transport Controller'' shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 2, —

(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

'(cc) ''Challan'' means initiation of prosecution or action for contravention of any provision of the Act or of any rule, regulation, notification or order made thereunder as a result of examination of record and enquiry into the facts and arriving *prima facie* at a satisfaction about the conduct of the person sought to be prosecuted ;';

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: —

'(ff) ''police officer'' means an officer of the police not below the rank of an Assistant Sub-Inspector ;'.

4. In the said rules, for rules 225 and 226, the following rules shall be substituted, namely :—

"225. Officers of Motor Vehicles Department appointed under section 213.—(1) The following officers are appointed as officers of the Motor Vehicles Department under section 213 of the Act, namely :—

(i) State Transport Controller ;

(ii) Additional/Joint State Transport Controller;

(iii) Additional/Joint Excise and Taxation Commissioner;

(iv) Senior Superintendent of Police, Haryana Highway Patrol and Road Safety;

(v) Secretary, State/Regional Transport Authority;

(vi) District Transport Officer;

(vii) Flying Squad Officer;

(viii) Deputy Superintendent of Police, Haryana Highway Patrol and Road Safety;

(ix) Assistant District Transport Officer;

(x) Assistant Excise and Taxation Officer;

(xi) Incharge, Traffic Aid Centres, Haryana Highway Patrol and Road Safety not below the rank of Sub-Inspector.

(2) Besides the officers appointed under sub-rule (1), the following officers shall also be deemed to be appointed as officers of the Motor Vehicles Department, namely :—

(i) Deputy Commissioners;

(ii) Additional Deputy Commissioners;

(iii) Sub-Divisional Officers (Civil);

(iv) City Magistrates;

(v) General Managers, Haryana Roadways ; and

(vi) Traffic Managers, Haryana Roadways.

226. **Powers of officers of Motor Vehicles Department.**—(1) State Transport Controller and subject to his regulatory control all other officers of the Motor Vehicles Department specified in the foregoing rule shall within the area of their respective jurisdiction, have the power to challan any person for contravention of any provisions of the Act or of any rule, regulation or notification issued thereunder :

Provided that the General Managers and Traffic Managers of Haryana Roadways shall have no powers to check/challan goods

vehicles and buses of Private Operators both of contract and Stage Carriage Permits :

Provided further that Incharge, Traffic Aid Centres, Haryana Highway Patrol and Road Safety shall exercise such powers only in respect of offences punishable under sections 183, 184, 185, 190 and 197 of the Act.

(2) An officer of the Motor Vehicles Department shall have the power,—

(a) in order to ascertain whether the provisions of the Act are being observed to,—

(i) to make such examination and enquiry as he thinks fit;

(ii) to signal any motor vehicle being driven in any public place to stop (whereupon such vehicle shall be stopped by the person driving or having control of the vehicle) and demand or search for, if not produced, driving licence, certificate of registration, certificate of insurance, and in case of a transport vehicle, in addition certificate of fitness and permit, examine them and seize one or more of them, as may be necessary, for the purpose of verification or where the holder is charged with an offence under the Act for forcing his attendance in the court taking cognizance of the offence, after giving receipt therefor ;

(b) with such assistance, if any, as he thinks fit, to enter, inspect and search any premises which is in the occupation of a person who, he has reason to believe, has committed an offence under the Act or in which a motor vehicle in respect of which such offence has been committed is kept :

Provided that,—

(i) any search without a warrant shall be made only by a Gazetted Officer;

(ii) where the offence is punishable with fine only the search shall not be made after sunset and before sunrise;

(iii) where the search is made without a warrant, the Gazetted Officer concerned shall record in writing the grounds for not obtaining a warrant and report to his immediate superior that such search has been made;

(c) to examine any person and require the production of any register or other document maintained in pursuance of the Act, and take on the spot or otherwise statements of any person which he may consider necessary for carrying out the purposes of the Act;

(d) to seize or take copies of any registers or documents or portions thereof as he may consider relevant in respect of an offence under the Act which he has reason to believe has been committed;

(e) to launch prosecution in respect of any offence under the Act and to take a bond for ensuring the attendance of the offender before any court :

Provided that no person shall be compelled under this sub-rule to answer any question or make any statement tending to incriminate himself.

Note—For the purpose of this sub-rule, any reference to 'Act' includes reference to any rule, regulation, notification or order made under the Act.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this rule as they apply to any search or seizure under the authority of any warrant issued under section 94 of the said Code.

(4) Subject to the restrictions imposed under the first proviso to sub-rule (1), the officers mentioned in sub-rule (1), are authorised to exercise powers given under sub-section (1) and sub-section (2) of section 206 of the Act.

(5) Subject to the restrictions imposed under the first proviso to sub-rule (1), the officers mentioned in sub-rule (1), are authorised to exercise powers given under sub-section (1) of section 207 of the Act to seize and detain a motor vehicle for the reasons and in the circumstances mentioned therein :

Provided that —

(i) the detaining officer, shall direct the incharge of the vehicle to take or cause to take the said vehicle to the nearest police station, workshop of the Haryana Roadways or any other place which is considered to be safe for the temporary custody of the vehicle ;

(ii) the detaining officer will further ensure proper receipt of the vehicle from the incharge of the premises in Form HR No. 49 where the vehicle has been ordered to be impounded. A copy of the receipt shall be handed over by the person incharge of the premises to the owner or representative of the vehicle and one copy will be given to the detaining officer ;

(iii) the incharge of the premises will be fully responsible for the safe custody of the vehicle, till it is released on the orders of the competent authority or is disposed of otherwise in terms of these rules;

(iv) in case the vehicle remains impounded for more than one month in the premises other than the police station, the vehicle may be sent by the Incharge of the premises to the nearest police station under intimation to the owner of the vehicle. The Officer Incharge of police station may take further action for the disposal of the vehicle according to law.

(6) Subject to the restrictions imposed under the first proviso to sub-rule (1), all class I officers mentioned in sub-rule (1) are authorised to exercise powers given under sub-section (2) of section 207 of the Act. Any officer below the rank of a District Transport Officer seizing or detaining any motor vehicle under sub section (1) of section 207 shall send immediately and not later than 24 hours of detaining the vehicle, report of the case together with copy of the relevant documents to the District Transport Officer concerned who may on application of the owner or person incharge of the vehicle, order release of the vehicle in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 207 of the Act.".

5. In the said rules, rules 226A, 226B and 226C shall be omitted.

6. In the said rules, after Form HR No. 48, the following Form shall be added at the end, namely :—

"FORM HR NO. 49

(See rule 226 of Haryana Motor Vehicles Rules, 1993)

Receipt of Motor Vehicle bearing No. ——————impounded under section 207 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), by ————

Motor Vehicle bearing No. ——————impounded under section 207 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), *vide* challan No.———— Book No. ————by————————has been received today *i.e.* on ——————————at——————with the following accessories :—

1. Number of tyres in fact :——————
2. Spare tyre with rim :——————
3. Battery :——————
4. Tape Recorder :——————
5. Air Conditioner :——————
6. Seat Covers :——————
7. Mats :——————
8. Detail of Tools :——————
9. Any other special item, if any :——————

(Note : Put a tick mark or give remarks against each)

Signature of incharge/ nominee of the premises :	Signature of the owner or driver of the motor vehicle :
Name in CAPITALS :	Name in CAPITALS :
Address of premises :	Present address : ."

R. N. PRASHER,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अक्तूबर, 2003

संख्या का० आ० 131/के० अ० 59/1988/धा० 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111, 138, 176 तथा 213/2003.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111, 138, 176 और 213 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 120/के० अ० 59/1988/धा० 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111, 138, 176 तथा 213/2003, दिनांक 8 अक्तूबर, 2003, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2003, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है) में, "परिवहन आयुक्त" शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "राज्य परिवहन नियन्त्रक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 में,—

(i) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(गग) "चालान" से अभिप्राय है, अभिलेख के परीक्षण तथा तथ्यों की पूछताछ तथा अभियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के आचरण के बारे में प्रथम दृष्टया सन्तुष्टि होने के परिणाम स्वरूप अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के किसी उपबन्ध की उल्लंघना के लिए अभियोजन या कार्रवाई का प्रारम्भ ; " ;

(ii) खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(चच) "पुलिस अधिकारी" से अभिप्राय है, पुलिस का कोई अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो ; "।

4. उक्त नियमों में, नियम 225 तथा 226 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"225. **धारा 213 के अधीन नियुक्त मोटरवाहन विभाग के अधिकारी.**—(1) निम्नलिखित को उक्त अधिनियम की धारा 213 के अधीन मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

(i) राज्य परिवहन नियंत्रक ;

(ii) अपर/संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक ;

(iii) अपर/संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त ;

(iv) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरियाणा राजमार्ग गश्त तथा सड़क सुरक्षा ;

(v) सचिव, राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ;

(vi) जिला परिवहन अधिकारी ;

(vii) उड़न दस्ता अधिकारी ;

(viii) उप-पुलिस अधीक्षक, हरियाणा राजमार्ग गश्त तथा सड़क सुरक्षा ;

(ix) सहायक जिला परिवहन अधिकारी ;

(x) सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी ;

(xi) यातायात सहायता केन्द्र, हरियाणा राजमार्ग गश्त तथा सड़क सुरक्षा का भार-साधक जो उप-निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए गए भी समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) उपायुक्त ;

(ii) अपर उपायुक्त ;

(iii) उप-मण्डल अधिकारी ;

(iv) नगर मजिस्ट्रेट ;

(v) महाप्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज ; तथा

(vi) यातायात मैनेजर, हरियाणा रोडवेज।

"226. **मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों की शक्तियां.**—(1) राज्य परिवहन नियंत्रक तथा उसके विधिवत् नियंत्रणाधीन पूर्ववर्ती नियम में विनिर्दिष्ट मोटर वाहन विभाग के सभी अन्य अधिकारी को अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या इसके अधीन जारी किए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति का चालान करने की शक्ति होगी :

परन्तु हरियाणा रोडवेज़ के महा प्रबन्धकों तथा यातायात प्रबंधकों को प्राईवेट आपरेटरों के मालवाहनों तथा बसों, संविदा तथा मंजिली गाड़ी परमिटस, दोनों को चैक/चालान करने की शक्तियां नहीं होंगी :

परन्तु यह और कि यातायात सहायता केन्द्र, हरियाणा राजमार्ग गश्त तथा सड़क सुरक्षा का भार साधक अधिनियम की धारा 183, 184, 185, 190 तथा 197 के अधीन केवल दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) मोटर वाहन विभाग के किसी अधिकारी को निम्नलिखित शक्ति होगी,—

(क) यह अभिनिश्चय करने के लिए कि क्या अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है—

(i) ऐसा परीक्षण तथा जांच, जो वह ठीक समझे, करेगा ;

(ii) किसी सार्वजनिक स्थान में चलाए जा रहे किसी मोटर वाहन को रोकने का संकेत करना (जिस पर ऐसा वाहन, चलाने वाले या वाहन का नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा रोका जाएगा) तथा मांग पर या तलाशी के लिए चालान अनुज्ञप्ति, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र तथा किसी परिवहन वाहन की दशा में, क्षमता प्रमाण-पत्र तथा परमिट यदि प्रस्तुत नहीं करता है तो सत्यापन के प्रयोजन के लिए, जो आवश्यक समझे, उनकी जांच तथा उनमें से एक या अधिक को पकड़ सकता है या जहां धारक को उसकी रसीद देने के बाद अपराध का संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उसकी जबरदस्ती उपस्थिति के लिए अधिनियम के अधीन किसी अपराध से अधिरोपित किया जाता है;

(ख) ऐसे सहयोग से, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, किसी परिसर में, जो किसी व्यक्ति के अधिभोग में है, प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी करने के लिए उसके पास विश्वास का कारण है, कि उसने अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या मोटर वाहन जिस के संबंध में ऐसा अपराध किया गया है, में रखा जाता है :

परन्तु,—

(i) किसी वारंट के बिना कोई तलाशी केवल किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही की जाएगी;

(ii) जहां अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है वहां तलाशी सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले नहीं की जाएगी;

(iii) जहां तलाशी वारंट के बिना की जाती है वहां सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारी वारंट प्राप्त न करने के लिए आधारों को अभिलिखित करेगा तथा अपने निकटतम उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करेगा कि ऐसी तलाशी की गई है;

(ग) किसी व्यक्ति की जांच करने तथा अधिनियम के अनुसरण में अनुरक्षित किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने का आदेश देगा, तथा अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए किसी व्यक्ति के ब्यान उसी जगह पर या अन्यथा, जो वह आवश्यक समझे, लेगा;

(घ) अधिनियम के अधीन कोई अपराध जिसके लिए उसके पास विश्वास का कारण है, के संबंध में, किन्हीं रजिस्टरों या दस्तावेजों या उनके भागों की, जो वह सुसंगत समझे, प्रतियां जब्त करेगा या लेगा;

(ङ) अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में अभियोजन चलाएगा तथा किसी न्यायालय के समक्ष अपराधी की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बन्धपत्र प्राप्त करेगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस उप-नियम के अधीन किसी प्रश्न का जवाब देने या स्वयं पर अभियोग लगाकर पेश करने का कोई ब्यान देने के लिये विवश नहीं किया जाएगा ।

टिप्पण : इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "अधिनियम" किसी संदर्भ में अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम, वनियम, अधिसूचना या आदेश का सन्दर्भ शामिल है ।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2), के उपबन्ध जहां तक हो सके, इस नियम के अधीन किसी जांच या जब्ती के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन किसी तलाशी या जब्ती को लागू हों ।

(4) उप-नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, उप-नियम (1) में वर्णित अधिकारी अधिनियम की धारा 206 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं ।

(5) उप-नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, उप-नियम (1) में वर्णित अधिकारी अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (1) के अधीन उसमें वर्णित कारणों तथा परिस्थितियों के लिए किसी मोटर वाहन को जब्त तथा निरुद्ध करने के लिए दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किए जाते हैं :

परन्तु—

(i) निरुद्ध अधिकारी, निकटतम पुलिस स्टेशन, हरियाणा रोडवेज की वर्कशाप या किसी अन्य स्थान पर जो वाहन की अस्थाई अभिरक्षा के लिए सुरक्षित समझा जाता है, उक्त वाहन को ले जाने या ले जाने की व्यवस्था करने के लिए वाहन के भारसाधक को निदेश देगा ;

(ii) निरुद्ध अधिकारी आगे प्ररूप एच. आर. संख्या 49 में परिसरों के भारसाधक से ऐसे वाहनों की उचित रसीद जहां वाहन को जब्त करने के आदेश दिये गए हैं, सुनिश्चित करेगा। रसीद की एक प्रति वाहन के स्वामी या प्रतिनिधि को परिसरों के भारसाधक व्यक्ति द्वारा सौंपी जाएगी तथा एक प्रति निरुद्ध अधिकारी को दी जाएगी ;

(iii) परिसरों के भारसाधक वाहन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे, जब तक यह सक्षम प्राधिकारी के आदेशों पर छोड़ा नहीं जाता है या इन नियमों की शर्तों में अन्यथा निपटान नहीं किया जाता है;

(iv) यदि वाहन पुलिस स्टेशन से भिन्न परिसरों में एक मास से अधिक के लिए जब्त रहता है तो वाहन के स्वामी को सूचना देते हुए निकटतम पुलिस स्टेशन के परिसरों के प्रभारी द्वारा भेजा जाएगा। भारसाधक अधिकारी विधि के अनुसार वाहन के निपटान के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

(6) उप-नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिरोपित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, उप-नियम (1) में वर्णित सभी प्रथम श्रेणी अधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं। धारा 207 की उप-धारा (1) के अधीन किसी मोटर वाहन को जब्त या निरुद्ध करने वाले किसी जिला परिवहन अधिकारी की नीचे की पदवी का कोई अधिकारी सम्बद्ध जिला परिवहन अधिकारी को सुसंगत दस्तावेजों की प्रति के साथ-साथ मामले की रिपोर्ट वाहन निरुद्ध करने के तुरन्त बाद तथा कम से कम 24 घन्टों में भेजेगा जो वाहन के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति के आवेदन पर उक्त अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार वाहन को छोड़ने के आदेश करेगा ।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 226क, 226ख तथा 226ग का लोप कर दिया जायेगा।

6. उक्त नियमों में, प्ररूप एच. आर. संख्या 48 के बाद, अन्त में निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप एच. आर. संख्या 49

(देखिए हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 का नियम 226)

मोटर वाहन संख्या :----------------की प्राप्ति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 207 के -------------अधीन द्वारा जब्त की गई

---------------------द्वारा चालान संख्या -------------------पुस्तक संख्या--------------- के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 207 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम, 59) के अधीन जब्त मोटर वाहन संख्या -----------------------आज अर्थात् : ---------------------------------को ---------------------बजे निम्नलिखित उपकरणों सहित प्राप्त की :—

1. वस्तुत: टायरों की संख्या ---------------------------------------
2. रिम सहित अतिरिक्त टायर ---------------------------------------
3. बैटरी ---------------------------------------
4. टेप रिकार्डर ---------------------------------------
5. वातानुकूलन ---------------------------------------
6. सीट कवर ---------------------------------------
7. मेटस ---------------------------------------
8. औजारों का विवरण ---------------------------------------
9. कोई अन्य विशेष वस्तु, यदि कोई हो ---------------------------------------

(नोट : प्रत्येक के सामने √ चिन्ह लगाएं या टिप्पणी दें)

परिसरों के प्रभारी/नाम निर्देशिती के हस्ताक्षर	:	मोटर वाहन के स्वामी या चालक के हस्ताक्षर	:
बड़े अक्षरों में नाम	:	बड़े अक्षरों में नाम	:
परिसर का पता	:	वर्तमान पता	:

आर0 एन0 पराशर,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

परिवहन विभाग।